परविन्द्र सिंह vs मुकन्द सिंह

तारीख हुक्म	30/2021 हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
.2025	पत्रावली पेश हुई। बहस अन्तर्गत प्रार्थना-पत्र पूर्व में सुनी जा चुकी है। हम प्रार्थना-पत्र को अस्थाई निषेधाज्ञा के तीन बिन्दुओं प्रथम दृष्ट्या मामला, सुविधा का सन्तुलन, अपूर्णीय क्षति के आधार पर निर्णीत करना उचित समझते है - 1) <u>प्रथम दृष्ट्या मामला:-</u> पत्रावली में संलग्न प्रार्थना-पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र, जमाबन्दी चक 39NGC, 3RK का अवलोकन किया गया। जमाबन्दी के अवलोकन से स्पष्ट है कि अप्रार्थीगण वादग्रस्त भूमि के अभिलिखित काश्तकार है। अप्रार्थीगण प्रार्थीगण के दादा-दादी है। पत्रावली में संलग्न बैयनामा दिनांक 05.01.1981 की चित्रप्रति, बैयनामा दिनांक 3.11.1990 की चित्रप्रति एवं नामान्तरण संख्या 01.01.1958 के अनुसार वादग्रस्त भूमि अप्रार्थीगण को जरिये विक्रयनामा एवं दानपत्र प्राप्त हुई है। दूसरे प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना-पत्र में कथन किया है कि वादग्रस्त भूमि पैतृक कृषि भूमि है लेकिन अपने कथनों के समर्थन में ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नहीं किया है अतः प्रथम दृष्ट्या मामला प्रार्थीगण के पक्ष में सिद्ध नहीं होता है।

2) सुविधा का सन्तुलन

चूंकि अप्रार्थीगण वादग्रस्त भूमि के अभिलिखित काश्तकार है अतः अस्थाई निषेधाज्ञा जारी रहने के फलस्वरूप अप्रार्थीगण बैंक ऋण आदि सुविधाओं से वंचित हो सकते है एवं अधिकतम असुविधा का सामना करना पड़ सकता है।

3) अपूर्णीय क्षति:

पत्रावली में संलग्न दस्तावेजों व राजस्व रिकार्ड की स्थिति अनुसार प्रथम दो बिन्दू प्रार्थीगण के पक्ष में साबित हुये है अतः अस्थाई निषेधाज्ञा के फलस्वरूप अप्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति सम्भाव्य है।

अतः अस्थाई निषेधाज्ञा के तीनों आधार-भूत बिन्दू प्रार्थीगण के पक्ष में सिद्ध हुये है अतः प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत 2/2 CPC इसी स्तर पर अस्वीकार/खारिज किया जाता है। पत्रावली निर्णय अनुसार होकर नम्बर के काम की जाकर दाखिल-दफ्तर हो।

30.10